

चलो चलाएँ

शिक्षा गुणवत्ता अभियान

और बढ़ाएँ

हम अपना सम्मान




मोडल - ०५५६

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-दुर्ग (छ.ग.)

मालती ई. मि. हा. रो. स्कूल, कुकड़ तिवारी

विद्यालय मान्यता प्रमाण-पत्र



दिनांक - 05/10/2021 से 24/10/2024

फोन नं. 0788-2322345

प्रारूप - दो

फैक्स नं. 0788-2211242

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, दुर्ग (छ.ग.)

क्रमांक / 1229 / माय्यता/2021

दुर्ग, दिनांक 05/10/2021

ति, केला कल्पल क्वेश्चनरी
प्रबंधक, जिला

श्रेय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रायोजन के लिए, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2009 के नियम 11 के उप-नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए माय्यता प्रमाण-पत्र।

होदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र की तारीख 12/07/2021 के संदर्भ में और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती प्राचार/निरीक्षण के उपरांत में जिला शिक्षा अधिकारी, दुर्ग (छ.ग.) (विद्यालय का पता सहित) को तारीख 05/10/2021 से 04/10/2024 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए कक्षा 1 से 05वीं तक माध्यम अनुपालन के लिए अनंतिम माय्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृत निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्याधीन है :-

माय्यता की स्वीकृत विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा आठवीं के पश्चात माय्यता/संबद्धन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (परिशिष्ट-एक) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2009 (परिशिष्ट-दो) के उपबंधों का पालन करेगा।

विद्यालय, कक्षा एक में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बच्चों की संख्या के 25% प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा। परंतु यह और भी कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इन मानकों का अनुपालन किया जायेगा।

पैरा 03 में निर्दिष्ट बच्चों के लिए विद्यालयों को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करके के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बच्चे या उसके माता/पिता या संरक्षक को किसी स्त्रीबिग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।

विद्यालय, किसी बच्चे को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :-

प्रवेश दिये गये किसी भी बच्चे को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नहीं किया जायेगा।

प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चों को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

अधिनियम के उपबंधों 'च' के अनुसार निःशुल्क/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

छ: अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परंतु यह और भी कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, 05 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यताएं अर्जित करेंगे।

सात अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, और आठ अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं :-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल : 5.886 वर्ग मीटर
कुल निर्मित का क्षेत्रफल : 71.70 वर्ग मीटर
खेल के मैदान का क्षेत्रफल : 5.1636 वर्ग मीटर
कक्षाओं की संख्या : 57 कक्षाएं
प्रधानपाठक सह-कार्यालय सह-भण्डार के लिए कक्ष : 02
बालकों और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय : 15+15
पेयजल सुविधा : कार्टर (नगर)
मध्याह्न भोजन पकाने हेतु रसोई :
बाधारहित पहुँच : 57

अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूल के उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता :

9. विद्यालय परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर माय्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जायेगी।

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या स्थलों का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।

11. विद्यालय की सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12. विद्यालय को किसी वैयक्तिक, वैयक्तिक समूह या संघ या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।

13. विद्यालयों के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा समपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण, नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।

14. आपके विद्यालय को आबंटित माय्यता कोड संख्यांक 102/206/01 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर आपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो माय्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाएं।

16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई भी तो सुनिश्चित किया जाए।

17. संलग्न परिशिष्ट तीन के अनुसार अन्य कोई शर्त।

PRINCIPAL
Valanda English Medium School
KURUD, JAMUL (A.C.C.) P.O.
PIN AL (GHATTI868RH) 490028

जिला शिक्षा अधिकारी
दुर्ग